भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1482
दिनांक 09 दिसंबर, 2025 / 18 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

भारत विरोधी गतिविधियों में वृद्धि

1482. श्री संजय हरिभाऊ जाधवः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गैर-भारतीय मूल के लोगों द्वारा बढ़ती भारत विरोधी गतिविधियां-विशेषकर कनाडा, ब्रिटेन और अमरीका में, सरकार के संज्ञान में हैं;
(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान उक्त देशों में भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए गए व्यक्तियों और संगठनों के नाम क्या हैं;
(ग) क्या सरकार ने इन लोगों की संपत्ति के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है और क्या उनके बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं, उनका पासपोर्ट निरस्त कर दिया गया है और भारत आने पर रोक लगा दी गई है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (घ): चरमपंथी गतिविधियों, भारतीय राजनयिक मिशनों/पोस्टों की संपत्ति की बर्बरता, सोशल मीडिया पर भारतीयों को धमकियां, भारत विरोधी प्रचार, दबाव बनाना और शैक्षणिक प्रभाव गतिविधियों सहित भारत विरोधी गतिविधियों में गैर-भारतीयों की भागीदारी और उनके समर्थन के उदाहरण सरकार के संज्ञान में आए है। ऐसे विरोध प्रदर्शनों में आम तौर पर ऐसे संगठन और तत्व शामिल होते हैं जो भारत विरोधी वकालत और सक्रियता का समर्थन करते हैं या उसे अंजाम देते हैं।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, भारत सरकार ने अपने राजनयिक मिशनों और पोस्टों के माध्यम से मेजबान सरकारों से संपर्क किया है और उनसे न केवल अपने संबंधित घरेलू कानूनों के तहत इन तत्वों

लोक सभा अता. प्र.सं. 1482, दिनांक 09.12.2025

के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया है, बल्कि प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय परम्पराओं के अनुसार हमारी राजनयिक संपत्तियों और कर्मियों की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया है।

इसके अलावा, समय-समय पर जारी वीज़ा मैनुअल, नियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसे गैर-भारतीयों की भारत में यात्रा निषिद्ध है जो इन गतिविधियों में शामिल हैं।

***